केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area, Saheed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no. 26858570, फैक्स/FAX 26524580
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा.सं0 11025/58/14 केविसं(मु)/हि0/3002-3062

दिनांक : 25 अगस्त, 2015

उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

विषयः- विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार इत्यादि पर किये जाने वाले खर्च के संबंध में।

महोदय/महोदया,

संगठन के विभिन्न कार्यालयों द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यों के संबंध में विज्ञापन तथा अन्य प्रचार-प्रसार के द्वारा कुछ जानकारी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दी जाती है और इसमें कई बार अंग्रेजी भाषा पर खर्च ज्यादा और हिंदी पर कम होता है। इस पर संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रायः टिप्पणी करते हुए यह अपेक्षा की गई है कि कार्यालयों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों के कुल खर्च में से न्यूनतम 50% खर्च हिंदी पर किया जाए और शेष 50% राशि अंग्रेजी एवं अन्य प्रांतीय भाषाओं पर खर्च की जाए। प्रमुख समाचार पत्रों इत्यादि में विज्ञापनों को मुद्रित करवाने के संबंध में यह पाया गया कि हिंदी के विज्ञापन सस्ते तथा अंग्रेजी के विज्ञापन तुलनात्मक रूप से मंहगे पड़ते हैं। परिणाम-स्वरूप हिंदी और अंग्रेजी के बराबर विज्ञापन देने पर भी अंग्रेजी का खर्च हिंदी के विज्ञापन की तुलना में ज्यादा आता है और जिस पर संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रायः टिप्पणी की जाती है। इस प्रकार सभी संबंधित द्वारा विज्ञापनों को जारी करने से पूर्व संगठन के सभी कार्यालयों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जाए :-

1- हिंदी के विज्ञापन समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ या अंतिम पृष्ठ पर दिए जा सकते है।
2- हिंदी के विज्ञापन रंगीन प्रींटिंग में दिए जा सकते हैं।
3- हिंदी के विज्ञापनों में शब्दों का आकार और फोंट अंग्रेजी के विज्ञापनों के फोंट से साइज में बड़ा रखा जा सकता है जिससे हिंदी के विज्ञापन का संपूर्ण आकार अंग्रेजी विज्ञापन की तुलना में अधिक हो जाए।
4- हिंदी के साथ-साथ विज्ञापन अंग्रेजी की तुलना में राज्य की प्रांतीय अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में दिए जाएं।

संक्षेप में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि भविष्य में उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रचार एवं विज्ञापन इत्यादि जारी करवाएं और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। कृपया इसे अपने अधीनस्थ केंद्रीय विद्यालयों के ध्यान में भी लाएं एवं उनसे भी इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करवायें।

(जी.के.श्रीवास्तव)
अपर आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1- केविसं (मु0) के सभी अनुभाग अधिकारियों एवं शाखाधिकारियों को अनुपालन हेतु।
2- निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान (चंडीगढ़,मुम्बई,भुवनेश्वर,मैसूर और ग्वालियर)।
3- केविसं (मु0) के सभी संयुक्त आयुक्तों (अर्थात प्रशिक्षण,प्रशासन,शैक्षिक,वित्त,कार्मिक) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
4- केविसं (मु0) के सभी उपायुक्तों (अर्थात प्रशा0,शैक्षिक,वित्त) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
5- के.वि.सं. वेबसाइट
6- गार्ड फाइल।

अपर आयुक्त (प्रशासन)